केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान

राजभाषा अनुभाग

सं. 20-02/14/20-राभा. दिनांक 28/09/2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन हेतु निदेश जारी करना।

संदर्भ : 1) समय समय पर जारी कार्यालय ज्ञापन (वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020)

2) निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21/02/2019, 11/09/2020

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुपालन को अनिवार्य बिंदु के रूप में शामिल किया गया है। इनके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा मुख्यालय से समय-समय पर निदेश प्राप्त होते रहे हैं। **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा** 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाने अनिवार्य हैं। ऐसे कागजातों और पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे इन कागजातों पर हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह कागजात एक साथ द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में शामिल कागजात निम्नलिखित हैं :

1. सामान्य आदेश (General Orders)
2. संकल्प (Resolution)
3. परिपत्र (Circulars)
4. नियम (Rules)
5. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट (Administrative or other reports)
6. प्रेस विज्ञप्तियां/टिप्पणियां (Press Release/Communiques)
7. संविदाएं (Contracts)
8. करार (Agreements)
9. अनुज्ञप्तियां (Licences)
10. निविदा प्रारुप (Tender Forms)
11. अनुज्ञा पत्र (Permits)
12. निविदा सूचनाएं (Tender Notices)
13. अधिसूचनाएं (Notifications)
14. संसद के समक्ष रखे जाने वाले रिपोर्ट व कागज़ पत्र (Reports & documents to be laid before Parliament)

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य किया गया है। कृपया ध्यान दें कि ईमेल एवं सीपीग्राम आदि के माध्यम से हिन्दी में प्राप्त पत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है तथा यदि प्रेषक ने अपने हस्ताक्षर हिन्दी में किए हैं तो ऐसे पत्र को हिंदी पत्र माना जाएगा और तदनुसार इनका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाएगा। यह भी ध्यातव्य है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए और "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार को बढाया जाए।

राजभाषा संबंधी उपर्युक्त दोनों व्यवस्थाओं के लिए <u>हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को जांच बिंदु बनाया गया है</u>। जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्र आदि जारी होता है, स्वयं उसकी यह जिम्मेदारी है कि यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा किसी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर यदि हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाए। इसी प्रकार, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कागजात के द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) होने संबंधी नियम का उल्लंघन होने पर इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जांच बिंदु/जिम्मेदार बनाया गया है।

28/9/21

(संगीता बैनर्जी)

वरि. प्रशासन नियंत्रक

प्रति -

1. निदेशक महोदय – सूचनार्थ
2. सभी अनुभागीय व प्रभागीय प्रमुख - व्यापक परिचालन एवं अनुपालन हेतु
3. कार्यालय प्रति

धारा 3(3) ओराम